राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

2, जलपथ गाँधी नगर जयपुर

क्रमांक: F26(4)(27) **बजट घोषणा**- 157/ IEC/ ICDS/ 17/ 180235-290 जयपुर, दिनांक 5-10-18

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
अजमेर, अलवर, बारां, चुरू, चित्तौड़गढ़
जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

ICT-RTM जिलों के चयनित
46 बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएं

विषय– बजट घोषणा 157 (वर्ष 2017–18) के अनुपालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्य प्रदर्शन के आधार पर मासिक प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति एवं दिशा–निर्देश।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2017–18 के बिन्दु संख्या 157 के अन्तर्गत वित्त (व्यय 2) विभाग की आई.डी. संख्या 161801119 दिनांक 5/10/2018 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में उपरोक्त चयनित जिलों की 10516 आंगनबाड़ी कार्यकताओं के लिए कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना मुख्य उद्देश्य :–

- प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का प्रत्येक माह मूल्यांकन करना।
- उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए तय मासिक मानदेय के साथ–साथ "अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि" का भुगतान करना।

प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु कार्य प्रदर्शन मापदण्ड तथा प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार है:–

क्रं. सं.	आईसीडीएस सेवा का नाम	कार्य निष्पादन मूल्यांकन के मापदण्ड (Parameters for performance evaluation)	90 प्रतिशत एवं अधिक उपलब्धि (Achievement) पर कार्यकर्ता को देय प्रोत्साहन राशि	75 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत से कम उपलब्धि (Achievement) पर कार्यकर्ता को देय प्रोत्साहन राशि
1.	शाला पूर्व शिक्षा	3–6 वर्ष के 20 बच्चों की औसत उपस्थिति (मुख्य केन्द्र), 15 बच्चों की औसत उपस्थिति (मिनी केन्द्र) 21 दिन से अधिक शाला पूर्व शिक्षा दिए जाने पर (उपलब्धि प्रतिशत को बच्चों की औसत उपस्थिति के आधार पर निकाला जाएगा)	रू. 200/–	रू. 100/–
2.	वृद्धि निगरानी	सर्वे अनुसार 0–3 वर्ष के बच्चों का नियमित मासिक वजन लेकर CAS पर प्रविष्ठि	रू. 150/–	रू. 75/–
3	परामर्श	पोषण संबंधित परामर्श : गर्भवती, धात्री व 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की माताओं को गृह सम्पर्क कर उचित परामर्श (कम से कम 20 गृह सम्पर्क)	रू. 150/–	रू. 75/–
		कुल	रू. 500/–	रू. 250/–

प्रोत्साहन राशि के लिए निर्धारित शर्ते

1. ICDS की सेवाओं के सफल संचालन व मॉनिटरिंग हेतु ISSNIP योजना मे वर्ल्ड बैंक की वित्तीय सहायता द्वारा 09 जिलों की 46 ब्लॉको की 10516 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एन्ड्रायड स्मार्ट फोन उपलब्ध करा दिए गए है। कार्यकर्ता संबंधित आकड़ो की सूचना CAS मे दर्ज करती है। प्रोत्साहन राशि की गणना/सत्यापन ICDS निदेशालय में प्राप्त CAS आकड़ो से किया जावेगा।

2. वर्तमान प्रोत्साहन योजना 9 जिलों की 46 ब्लॉक मे तीन माह (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर 2018) के लिए ही लागू किया जावेगा। प्रोत्साहन योजना के सफल परिणाम प्राप्त होने के पश्चात अग्रिम 3 माह के लिए आगे जारी की जा सकती है।
3. प्रोत्साहन राशि की समय सीमा व उत्तरदायित्व इस प्रकार होगा।

क्र.सं	कार्यप्रणाली	उत्तरदायित्व	तय दिनांक
1.	परियोजनावार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाली कार्यकर्ता की सूची तैयार करना	JPC NNM	प्रत्येक माह की 10 तारीख
2.	प्रोत्साहन राशि देय कार्यकर्ताओं की सूची बाल विकास परियोजना अधिकारी को जारी करना	JPC NNM	प्रत्येक माह की 11 तारीख
3.	प्राप्त आकड़ो का सत्यापन करना	CDPO & LS	प्रत्येक माह की 14 तारीख
4.	आकड़ो के सत्यापन पश्चात रिपोर्ट निदेशालय मे भेजना	CDPO	प्रत्येक माह की 16 तारीख
5.	निदेशालय स्तर पर प्रोत्साहन राशि जारी/स्वीकृत करना	नोडल अधिकारी NNM	प्रत्येक माह की 18 तारीख
6.	प्रोत्साहन राशि सीधे आगनबाड़ी कार्यकताओ के बैक खाते में जमा करना	CDPO	प्रत्येक माह की 20 तारीख

यदि CDPO द्वारा समय पर सत्यापन रिपोर्ट निदेशालय को नही भेजी जाती है तो संबधित परियोजना के कार्यकर्ताओं के आकड़े सत्यापित माने जायेगें।

4. आकड़ो का सत्यापन करना

अ. शालापूर्व शिक्षा मे दैनिक उपस्थिति (ECE Attendance) इसके अन्तर्गत 2 तरीको से आकड़ो का सत्यापन होगा

- आंगनबाड़ी केन्द्रो के निरिक्षण के दौरान दर्ज की गई राजधारा मे शालापूर्व बच्चों की दैनिक उपस्थिति का मिलान CAS से प्राप्त आकड़ो के द्वारा किया जायेगा। अगर किसी स्थिति मे शालापूर्व बच्चों की उपस्थिति संख्या CAS से प्राप्त बच्चो की संख्या से कम पाई गई, तो कार्यकर्ता को उक्त माह का शालापूर्व शिक्षा मे देय प्रोत्साहन राशि नही दी जावेगी। संबधित उपनिदेशक व बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबधित महिला पर्यवेक्षक समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रो का माह मे एक बार अवश्य निरीक्षण करें।
- शालापूर्व शिक्षा मे उपस्थित बच्चो की दैनिक संख्या का सत्यापन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा CAS मे भेजी गई फोटोज से बच्चो की संख्या का मिलान किया जावेगा अगर किसी कारणवश फोटोज में बच्चों की संख्या, शालापूर्व शिक्षा में दैनिक उपस्थित बच्चों की संख्या से कम है तो उस माह मे शालापूर्व शिक्षा के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि देय नही होगी।

ब. वृद्वि निगरानी– CAS के अन्तर्गत कुल बच्चों के वजन दर्ज मे से कम से कम 5 प्रतिशत बच्चों के वजन का सत्यापन महिला पर्यवेक्षक द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रो के निरीक्षण के दौरान किया जायेगा अगर दर्ज आंकड़ो कि सूचना सही नही पाई जाती है, तो उस माह मे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि देय नही होगी।

स. गृहभ्रमण निरीक्षण– आंगनबाड़ी केन्द्रो के निरीक्षण के दौरान महिला पर्यवेक्षक भी एक या दो घरों का गृहभ्रमण कर कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन करेगी अगर सूचना अप्राप्त या सही दर्ज नही पाई गई, तो उस माह मे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि देय नही होगी।

5. पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में राशि सीडीपीओ द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से सीधे जमा करायी जायेगी।

6. प्रोत्साहन राशि का भुगतान आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के मानदेय के संबंधित बजट मद (42–प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय) के राज्यांश से वहन किया जायेगा। जिसका पृथक से लेखा संधारित किया जावेगा।

7- उदाहरण के तौर पर प्रोत्साहन राशि की गणना

क्र. सं.	आईसीडीएस सेवा के अन्तर्गत	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (मुख्य केन्द्र) के CAS से प्राप्त आकडे	उपलब्धि (Achievement)	देय प्रोत्साहन राशि
1.	शाला पूर्व शिक्षा	औसत दैनिक उपस्थिति =17 (शाला पूर्व शिक्षा 23 दिन दी गई)	85% (17 / 20)	रू. 100/–
2.	वृद्धि निगरानी	सर्वे अनुसार 0–3 वर्ष के बच्चों की संख्या = 50 CAS पर मासिक वजन की प्रविष्ठि = 30	60% (30/50)	रू. 0/–
3	परामर्श	सर्वे अनुसार गर्भवती, धात्री व 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की माताओं की संख्या = 80 मासिक गृह सम्पर्क की संख्या = 75	93.75% (75/80)	रू. 150/–
		कुल		रू. 250/–

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

180291–336
क्रमांक: F26(4)(27) बजट घोषणा- 157/ IEC/ ICDS/ 17/ जयपुर, दिनांक 5–10–18

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर

3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, मबावि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, संबंधित
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, संबंधित
8. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय, संबंधित
9. विकास अधिकारी, विकास अधिकारी कार्यालय, संबंधित
10. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

अतिरिक्त निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएें
राजस्थान, जयपुर